

Order No:- 302L /2020-21

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 21.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Mohammad Sadique** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 328 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	AMANPREET SINGH	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONSTITUENCY OF HON'BLE MP		
2	PALAKDEEP SINGH	INADMISSIBLE BECAUSE CLASS IS INVALID		
3	SUMIT	INADMISSIBLE BECAUSE CLASS IS INVALID		
4	AMRITPREET KAUR	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONSTITUENCY OF HON'BLE MP		
5	EKVEER KAUR KHARE	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONSTITUENCY OF HON'BLE MP		
6	AARIZ AZEEM	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONSTITUENCY OF HON'BLE MP		
7	KUNAL BHARDWAJ	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONSTITUENCY OF HON'BLE MP		
8	MOHAMMAD HARISH SALMANI	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONSTITUENCY OF HON'BLE MP		
9	JAISMEEN KAUR	SH. ROSHAN SINGH MOB- 9872341671	7	FARIDKOT
10	EKNOOR KAUR	SH. ROSHAN SINGH MOB- 9872341671	9	FARIDKOT

पिया ठाकुर

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

पिया 01/08/20
21/8/20 x x
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Mohammad Sadique माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, CHANDIGARH संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)